संख्या \ /XXVII(7)27(3)/2013

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांकः ०२ नवम्बर, 2016

विषयः राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य मानदेय के आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में दिये जाने वाले मानदेय में एक माह के मूल वेतन के साथ 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राजकीय वाहन चालकों को उक्तानुसार अनुमन्य मानदेय में मंहगाई भत्ते की दरों के आगणन के सम्बन्ध में कतिपय स्तरों से की जा रही पृच्छाओं के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य एक माह के मूल वेतन के साथ तत्समय प्रभावी दरों के अनुसार महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– १२२ / XXVII(7)27(3)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....2..

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

सख्याः \ /XXVII(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
 उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉक 28 जुलाई, 2015 ~~जुलाई, 2015~~

विषयः राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष में एक बार अनुमन्य मानदेय के रूप में देय धनराशि के आंगणन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 43/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 सपठित शासनादेश संख्या–45/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वर्ष में एक बार अनुमन्य किये जाने वाले मानदेय में सुसंगत माह में मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. संघ की मांग पर शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य एक माह के मानदेय में मूल वेतन के साथ स्वीकृत 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के स्थान पर 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

3. उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 112 (1)/XXVII(7)27(3)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।